

धारा 18 : इनपुट कर प्रत्यय के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं

- (1) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प देने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी रीति में जो विहित की जाए नियत दिन से ठीक पहले दिन को समाप्त होने वाली अवधि के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन उसके द्वारा दी गई विवरणी में अग्रणीत मूल्यवर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हो, की रकम का, अपने इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में, उक्त दिन को छोड़कर नब्बे दिन के अपश्चात्, प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्यय लेने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, अर्थात् :-

- (i) जहां प्रत्यय की उक्त रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं है; या
- (ii) जहां उसने विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन से ठीक पहले की छह मास की अवधि के लिए अपेक्षित सभी विवरणियां नहीं दी हैं; या
- (iii) जहां प्रत्यय की उक्त रकम, सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी छूट अधिसूचनाओं के अधीन विक्रय किए गए माल के संबंध में है :

परन्तु यह और कि उक्त प्रत्यय की उतनी रकम, जिसे केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 3, धारा 5 की उपधारा (3), धारा 6 या धारा 6 का या धारा 8 की उपधारा (8) से सम्बन्धित कोई ऐसा दावा माना जा सकता है, जिसे केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति से और अवधि के भीतर सिद्ध नहीं किया गया, इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा करने योग्य नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि जब उक्त दावों को केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति में सिद्ध कर दिया जाता है तो विद्यमान विधि के अधीन दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट प्रत्यय की समतुल्य रकम का प्रतिदाय तब किया जाएगा।

- (2) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प देने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, नियत दिन से ठीक पहले दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन उसके द्वारा दी गई किसी विवरणी में अग्रणीत न किए गए पूंजी माल के संबंध में अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय का अपने इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में प्रत्यय लेने हकदार होगा :

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रत्यय लेने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि उक्त प्रत्यय विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं हो और इस अधिनियम के अधीन भी इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय न हो।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए “अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय” पद से वह रकम अभिप्रेत है जो विद्यमान विधि के अधीन कराधेय व्यक्ति द्वारा पूंजी माल के संबंध में, ऐसे इनपुट कर प्रत्यय की कुल रकम में से, जिसके प्रति उक्त व्यक्ति, विद्यमान विधि के अधीन उक्त पूंजी माल संबंध में हकदार था, पहले उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम को घटाने के पश्चात् बाकी बची हो।

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी नहीं था, या जो छूट प्राप्त माल या कर मुक्त माल या ऐसे माल के विक्रय में लगा हुआ था, जिन पर विद्यमान विधि के अधीन संघ राज्यक्षेत्र में उनके विक्रय के पहले स्थान पर कर का भुगतान कर दिया है और जिनका पश्चात्पूर्ती विक्रय संघ राज्यक्षेत्र में कर के अधीन नहीं है किन्तु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्वाधीन हैं या जहां व्यक्ति माल के विक्रय के समय इनपुट कर प्रत्यय के प्रत्यय का हकदार था, वहां निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, नियत दिन को, स्टॉक में धारित इनपुट के संबंध में और स्टॉक में धारित अर्धनिर्मित माल या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में मूल्य वर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हो, का अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खातों में प्रत्यय लेने का हकदार होगा, अर्थात् :

- (i) ऐसे इनपुट या माल का उपयोग, इस अधिनियम के अधीन कराधेय प्रदाय करने के लिए किया गया है किया जाना आशयित है;
- (ii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय का पात्र हो;
- (iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कब्जे में ऐसे इनपुटों के संबंध में ऐसे बीजक या अन्य विहित दस्तावेज हैं, जो विद्यमान विधि के अधीन कर के संदाय के साक्ष्य हों;
- (iv) ऐसे बीजक या अन्य विहित दस्तावेज नियत दिन से ठीक पहले के बारह मास से पहले जारी नहीं किए गए हों :

परन्तु यदि किसी विनिर्माता या सेवाओं के प्रदाता से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कब्जे में इनपुटों के संबंध में कर संदाय के साक्ष्य का कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज नहीं है तो ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, इस बात के साथ-साथ कि प्राप्तिकर्ता को घटी कीमत के रूप में ऐसे प्रत्यय का फायदा संक्रान्त करेगा, ऐसी शर्तों, सीमाओं और रक्षोपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, ऐसी दर पर और रीति में जो विहित की जाए, प्रत्यय अनुज्ञात होगा।

(4) कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान विधि के अधीन ऐसे कराधेय माल के साथ-साथ छूट प्राप्त माल या कर मुक्त माल के विक्रय में लगा हुआ था किन्तु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व के अधीन है, अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में—

- (क) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन दी गई किसी विवरणी में अग्रणीत मूल्य वर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हों, के प्रत्यय की रकम; और
- (ख) उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार नियत दिन को स्टॉक में धारित इनपुट और स्टॉक में धारित अर्धनिर्मित या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में मूल्य वर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हों, के प्रत्यय की रकम, लेने का हकदार होगा।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे इनपुट के संबंध में, जो नियत दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त हुआ है किन्तु जिसके संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कर का संदाय प्रदायकर्ता द्वारा किया गया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उसके बीजक या किसी अन्य कर संदाय दस्तावेज को नियत दिन से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति की लेखा पुस्तक में अभिलिखित कर दिया था, मूल्य वर्धित कर और प्रवेश कर का, यदि कोई हो, अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परन्तु आयुक्त द्वारा तीस दिन की अवधि को, दर्शित किए गए पर्याप्त कारणों के आधार पर तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा :

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

परन्तु यह और कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रत्यय के संबंध में, जो इस उपधारा के अधीन लिया गया है ऐसी रीति में जो विहित की जाए, एक विवरणी देगा।

- (6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो विद्यमान विधि के अधीन या तो किसी नियत दर पर कर का संदाय कर रहा था या देय कर के बदले में नियत रकम का संदाय कर रहा था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिन को स्टॉक में धारित इनपुट और स्टॉक में धारित अर्धनिर्मित या तैयार माल में अन्तर्विष्ट इनपुट के संबंध में मूल्य वर्धित कर का प्रत्यय अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा, अर्थात् :
- (i) ऐसे इनपुट या माल का उपयोग, इस अधिनियम के अधीन कराधेय प्रदाय करने के लिए किया गया है या किया जाना आशयित है;
 - (ii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर का संदाय न किया हो;
 - (iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन ऐसे इनपुट पर इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र हो;
 - (iv) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कब्जे में बीजक या अन्य विहित दस्तावेज हैं जो विद्यमान विधि के अधीन ऐसे इनपुटों के संबंध में कर के संदाय के साक्ष्य हों; और
 - (v) ऐसे बीजक और अन्य विहित दस्तावेज नियत तारीख के ठीक पहले के बारह मास से पहले जारी नहीं किए गए थे।
- (7) उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (6) के अधीन जमा की रकम की संगणना, ऐसी रीति से की जाएगी, जो विहित की जाए।
-